॥ सत्यमेव जयते ॥

एकता विश्वास संघर्ष

शपथ

संगठन के प्रत्येक पदाधिकारी द्वारा निम्न शपथ ली जाएगी :—

मैं.....

जो कि राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश के.....

पद पर निर्वाचित हुआ हूँ अपने ईष्ट को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि मैं संगठन के संवैधानिक प्राविधानों का पालन करता हुआ, संगठन के सदस्यों के हित में अपनी पूरी लगन, निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करूँगा तथा पद पर रहते हुए मद्यपान नहीं करूँगा।

हस्ताक्षर

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश

का

संविधान

शीर्षक - 1 : नाम, स्थान, उद्देश्य

धारा-1 : नाम – संगठन का नाम "राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश" होगा।

धारा-2 : स्थान – संगठन का कार्यक्षेत्र समस्त उत्तर प्रदेश होगा और उसका मुख्य कार्यालय लखनऊ में होगा।

धारा-3 : उद्देश्य :-

उपधारा-1 : अपने संगठन के सदस्यों (अवर अभियन्ता एवं प्रोन्नत अभियन्ता) की वास्तविक कठिनाइयों को प्रशासन के सम्मुख प्रस्तुत करना।

उपधारा-2 : तकनीकी विषयों पर विचार-विनिमय और अपने वर्ग के हितों के रक्षार्थ एवं समृद्धि के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिये अपने सदस्यों को वर्ष में कम से कम एक बार मिलने का अवसर प्रदान करना।

उपधारा-3 : सदस्यों को व्यवसायिक योग्यता, वैज्ञानिक एवं अभियांत्रिक ज्ञानवर्धक के साधन उपलब्ध कराना।

उपधारा-4 : उ.प्र. में सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत जू.इं. (अवर अभियन्ता) एवं इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्तकों में विशेष रूप से तथा कर्मचारियों में सामान्य रूप से एकता, सद्भावना एवं सहयोग की भावना जागृत करना।

उपधारा-5 : उपरोक्त किसी एक अथवा अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सामयिक सहायता साधनों का उपयोग करना।

उपधारा-6 : साधारण रूप से समस्त कर्मचारियों में एवं विशेष रूप से अपने सदस्यों में राष्ट्रीयता की भावना एवं स्वस्थ राष्ट्रीय श्रम आन्दोलनों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना एवं एतदर्थ शिविरों का आयोजन कर सदस्यों/कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना।

उपधारा-7 : संगठन के दिवंगत एवं उपार्जनाक्षम सदस्यों के संकटापन्न परिवारों की सहायता करना।

उपधारा-8 : उपयुक्त पत्र, पत्रिकाओं, विज्ञप्तियों एवं लेखों का प्रकाशन कर सदस्यों की समस्याओं एवं तकनीकी प्रतिभा को प्रस्तुत करना।

उपधारा-9 : उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य किसी कार्यक्रम को, जिसे प्रदेशीय कार्यकारिणी समिति उपयुक्त समझे, प्रयोग में लाना।

शीर्षक-2 : सदस्यता

धारा-4 : (क) उ.प्र. के सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत समस्त स्थायी, अस्थायी तथा सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर एवं अन्य पदों पर कार्यरत डिप्लोमाधारी (सेवानिवृत्त/पदोन्नत) रु. 100/- (रु. एक सौ मात्र) पंजीकरण शुल्क व धारा-6 के अनुसार वार्षिक शुल्क जमा करने पर संगठन के सदस्य बन सकेंगे।

(ख) समस्त स्थायी व अस्थायी जूनियर इंजीनियर्स एवं अभियन्ता अधिकारी (सेवानिवृत एवं पदोन्नत सहित), जो उ.प्र. ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत हैं या रहे हैं, धारा–6 के अनुसार 10 वर्ष का शुल्क देकर आजीवन सदस्य बन सकेंगे।

(ग) प्रत्येक इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति परिशिष्ट 'क' के अनुसार प्रवेश-पत्र भरकर एवं किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित कराकर केन्द्रीय महासचिव को प्रस्तुत करेगा।

धारा-5 : प्रत्येक अधिकृत सदस्य साधारण सभा (परिषद) में भाग ले सकेगा एवं विचार विमर्श कर सकेगा।

शीर्षक-3 : कोष

धारा-6 : (क) प्रत्येक सदस्य रु. 1000/- (रु. एक हजार मात्र) वार्षिक शुल्क देगा।

(ख) आजीवन सदस्यता शुल्क रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र) होगा, जो एकमुश्त अथवा अधिकतम् तीन किस्तों में एक ही वर्ष में देय होगा।

धारा-7 : वार्षिक शुल्क प्रत्येक वर्ष जनवरी मास में अथवा नियुक्ति के दो मास के अन्दर देय होगा।

धारा-8 : संगठन का एक निश्चित कोष होगा जिसमें प्राप्त वार्षिक शुल्क का दशमांश एवं आजीवन शुल्क की समस्त धनराशि प्रत्येक वर्ष जमा होती रहेगी।

धारा-9 : संगठन के कोष को अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु केन्द्रीय अध्यक्ष की अनुमति से संगठन के समस्त पदाधिकारी/कार्यकर्ता दानरूप में धन एकत्रित कर सकेंगे।

धारा-10 : प्रत्येक धनराशि जो प्राप्त की जायेगी उसकी केन्द्र से स्वीकृत व क्रमांकित रसीद काटी जायेगी। किसी शाखा को रसीद छपवाने का अधिकार नहीं होगा। समस्त रसीदें केन्द्र द्वारा वितरित की जायेंगी।

धारा-11 : कोष का लेन-देन केन्द्रीय मुख्यालय एवं शाखाओं में मुख्यालयों पर केन्द्रीय संचालन समिति से स्वीकृत बैंक खाते में खाता खोलकर किया जायेगा। कोष का संचालन एवं रख-रखाव मूल रूप में कड़ाई के साथ संगठन की साधारण सभा (परिषद) द्वारा स्वीकृत एवं लागू लेखा नियमों के अनुरूप ही किया जायेगा।

शीर्षक-4 : प्रबन्ध

धारा-12 : उपर्युक्त के अतिरिक्त मुख्यालय लखनऊ पर कार्यरत सदस्यों में से ही केन्द्रीय महासचिव की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा मनोनीत उपाध्यक्ष (एक), उपमहासचिव (एक), संगठन सचिव (एक), यह प्रचार सचिव (एक), सह वित्त सचिव (एक) के अतिरिक्त निर्वतमान–केन्द्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय महासचिव, निगमों/कारपोरेशन/अंचलों एवं प्रादेशिक निगमों के प्रान्तीय अध्यक्ष/महासचिव, समस्त परिक्षेत्रीय अध्यक्ष एवं सचिव, समस्त क्षेत्र/परियोजना उपक्रम के अध्यक्ष एवं सचिव तथा मनोनीत 5 सदस्यों, संगठन के संरक्षक, केन्द्रीय चुनाव अधिकारी समस्त पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय महासचिव एवं विशेष आमंत्रित सदस्य संचालन समिति की बैठक में भाग लेंगे। किन्तु संरक्षकगण एवं विशेष आमंत्रित सदस्य मतदान नहीं करेंगे।

उपशीर्षक-1: परिषद :-

उपधारा-1 : परिषद (साधारण सभा) का गठन आनुपातिक पद्धति के अनुसार संगठन के अधिकृत सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को मिलाकर किया जायेगा।

उपधारा-2 : परिषद के प्रतिनिधियों **(Delegates)** का चुनाव शाखा पदाधिकारियों के चुनाव के साथ ही जनपद/परियोजना शाखाओं में प्रतिवर्ष संगठन के वार्षिक सम्मेलन (महाधिवेशन) ''परिषद की बैठक'' से एक मास पूर्व करेंगी, जिनकी संख्या शाखा के कुल अधिकृत सदस्यों की संख्या का पंचमांश (1/5) होगी (इस प्राविधान के साथ कि अन्तिम तीन से चार सदस्यों पर एक प्रतिनिधि और चुना जा सकेगा एवं इसमें शाखा में कार्यरत सभी खण्डों का प्रतिनिधित्व अवश्य होगा) और इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों एवं प्रतिनिधियों के नाम उनके पूर्ण विवरण आजीवन/वार्षिक सदस्यता संख्या आदि सहित शाखायें मुख्य सम्मेलन की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व केन्द्रीय महासचिव को भेज देंगी। प्रतिनिधि की सूची में जनपद शाखा के अध्यक्ष एवं सचिव अवश्य होंगे।

उदाहरण- : (अ) जनपद शाखा ''मेरठ'' कुल अधिकृत सदस्य संख्या 597 अतएव कुल प्रतिनिधियों की संख्या-21

(ब) परियोजना शाखा ''ओबरा'' कुल अधिकृत सदस्यों की संख्या 424 इसलिये कुल प्रतिनिधि संख्या 85

उपधारा-3 : जनपद/परियोजना शाखा के पदाधिकारी और किसी जनपद शाखा में कार्यरत निगम/क्षेत्रीय समिति के पदाधिकारी उस शाखा के स्वनिर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के निर्वाचित पदाधिकारी (निगम/क्षेत्रीय अध्यक्ष/सचिव के अतिरिक्त) एवं मनोनीत सदस्य केन्द्रीय स्तर से निर्वाचित प्रतिनिधि माने जायेंगे।

उदाहरण : जनपद शाखा 'बरेली' कुल अधिकृत सदस्य संख्या 56, अतः कुल प्रतिनिधि 11, स्वनिर्वाचित जनपद पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय समिति के जनपद शाखा में कार्यरत पदाधिकारी 5, अतएव् अतिरिक्त वांछित निर्वाचित प्रतिनिधि-6

उपधारा-5 : प्रतिनिधि (Delegates) का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा और वह उस वर्ष की समस्त साधारण सभा बैठकों (आपातकालीन सहित) में भाग लेने में सक्षम होगा।

उपधारा-6 : परिषद (साधारण सभा) में प्रस्ताव रखने, प्रस्तावों एवं केन्द्रीय पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिये प्रत्याशी होने, नामांकन-पत्र देने एवं मतदान करने का अधिकार केवल प्रतिनिधि को ही होगा। संगठन के अधिकृत सदस्य साधारण सभा की बैठकों में भाग ले सकेंगे, विचार-विमर्श कर सकेंगे, किन्तु प्रस्तावों/प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकेंगे।

उपधारा-7 : प्रत्येक प्रतिनिधि (Delegate) एक मत देने का अधिकारी होगा। सभापति मतदान नहीं करेगा। लेकिन पक्ष-विपक्ष में बराबर मतदान होने की दशा में अपना एक निर्णायक मत देने का अधिकारी होगा।

उपधारा-8 : परिषद की बैठक साधारणतया वर्ष में एक बार होगी तथा सम्मेलन स्थल एवं तिथि का निर्णय केन्द्रीय कार्यकारिणी करेगी। विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष कार्यसमिति की अनुमति से सुविधाजनक स्थान पर कभी भी परिषद की बैठक बुला सकेगा।

उपधारा-9 : परिषद की वार्षिक अथवा साधारण बैठक के लिये एक मास की सूचना आवश्यक होगी।

उपधारा-10 : आपातकालीन बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व देनी अनिवार्य होगी।

उपधारा-11 : कोरम आपातकालीन बैठक का 200 प्रतिनिधि एवं वार्षिक और साधारण बैठक का 400 अथवा प्रतिनिधियों का पंचमांश, जो भी कम हो, होगा।

उपधारा-12 : परिषद वार्षिक सम्मेलन में निम्नलिखित कार्य सम्पादित करेगी :-

(क) संगठन विषयक समस्याओं पर विचार, प्रतिनिधियों/शाखाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार, नियमों में परिवर्तन एवं सेवा समस्याओं पर निर्णय, मांग-पत्र आदि तैयार करना।

(ख) आगामी वर्ष के लिये केन्द्रीय संचालन समिति के पदाधिकारियों का चुनाव संविधान के परिशिष्ट 'ख' (चुनाव नियम) के अनुसार करना।

(ग) चालू वर्ष के आय-व्यय के लेखे की स्वीकृति प्रदान करना एवं आगामी वर्ष के लिये आय-व्ययक तैयार करना।

उपधारा-13 : आवश्यक होने पर संगठन की कार्य-पद्धति में उचित संशोधन करना।

उपधारा-14 : परिषद का बहुमत यदि किसी प्रस्ताव को अस्वीकृत करे तो यह प्रस्ताव परिषद के सामने दो माह पश्चात् पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकेगा।

उपशीर्षक-2 : केन्द्रीय संचालन समिति :-

उपधारा-15 : परिषद द्वारा निर्वाचित निम्न पदाधिकारियों एवं निम्न मनोनीत/पदेन पदाधिकारियों/सदस्यों को मिलाकर केन्द्रीय संचालन समिति गठित होगी :-

परिषद से निर्वाचित :-

1. केन्द्रीय अध्यक्ष – एक पद
2. वरिष्ठ उपाध्यक्ष – एक पद
3. उपाध्यक्ष – एक पद
4. केन्द्रीय महासचिव – एक पद
5. उपमहासचिव – चार पद
   1. उ.प्र. पावर कारपारेशन लिमिटेड
   2. उ.प्र.रा.वि.उ.नि.लि. एवं उ.प्र.ज.नि.लि.
   3. केस्को कानपुर
   4. सामान्य
6. संगठन सचिव – चार पद
   (उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि., उ.प्र.रा.वि.उ.नि.लि., उ.प्र.ज.वि.नि.लि. एवं केस्को)
7. प्रचार सचिव – एक पद
8. वित्त सचिव – एक पद
9. लेखा निरीक्षक – दो पद
10. सचिव, भवन समिति – एक पद

11. सचिव कल्याण योजना समिति – एक पद

12. उपर्युक्त के अतिरिक्त मुख्यालय लखनऊ पर कार्यरत सदस्यों में से ही केन्द्रीय महासचिव की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा मनोनीत उपाध्यक्ष (एक), उपमहासचिव (एक), संगठन सचिव (एक), सह प्रचार सचिव (एक), सह वित्त सचिव (एक), के अतिरिक्त निवर्तमान–केन्द्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय महासचिव, निगमों/कारपोरेशन/अंचलों एवं प्रादेशिक निगमों के प्रान्तीय अध्यक्ष एवं महासचिव, समस्त परिक्षेत्रीय अध्यक्ष एवं सचिव, समस्त क्षेत्र/परियोजना/उपक्रम के अध्यक्ष एवं सचिव तथा मनोनीत 5 सदस्यों/संगठन के संरक्षक, केन्द्रीय चुनाव अधिकारी, समस्त पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय महासचिव एवं विशेष आमंत्रित सदस्य संचालन समिति की बैठकों में भाग लेंगे, किन्तु मतदान नहीं करेंगे।

उपधारा-16 : साधारणतया केन्द्रीय संचालन समिति दो माह में एक बार केन्द्रीय कार्यालय में अपनी बैठक करेगी।

उपधारा-17 : केन्द्रीय संचालन समिति अपनी इन बैठकों में साधारण रूप से संगठन के कार्यकलापों, सफलताओं एवं असफलताओं तथा वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करेगी और तद्नुरूप आगामी कार्यवाही निर्धारित करेगी।

उपधारा-18 : विशेष परिस्थितियों में केन्द्रीय संचालन समिति संगठन के हित में किसी भी विषय पर आपात निर्णय लेने में सक्षम होगी, परन्तु ऐसे निर्णयों पर अगले एक माह के अन्दर कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

उपधारा-19 : केन्द्रीय संचालन समिति की बैठक का कोरम उसकी कुल संख्या का 1/4 होगा। केन्द्रीय अध्यक्ष अथवा केन्द्रीय उपाध्यक्ष की अनुमति से केन्द्रीय महासचिव कम से कम 10 दिन की पूर्व सूचना पर साधारण एवं 5 दिन की पूर्व सूचना पर आपातकालीन बैठक बुला सकेगा।

उपशीर्षक-3 : केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति :-

उपधारा-20 : केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति निम्न प्रकार गठित होगी :-

(अ) उपधारा 15 में वर्णित केन्द्रीय संचालन समिति के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य (प्रतिबन्धों सहित)।

(ब) संगठन की कल्याण योजना के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सचिव।

(स) जनपद एवं जनपद स्तरीय परियोजना शाखाओं के अध्यक्ष, सचिव अथवा उनके द्वारा अधिकृत जनपद शाखा के अन्य पदाधिकारी।

(द) क्षेत्रीय स्तर की परियोजना शाखाओं, जिनमें 100 से अधिक सदस्य हैं, 100 से ऊपर प्रति 50 सदस्यों पर एक अतिरिक्त

मनोनीत सदस्य, जिन्हें सम्बन्धित शाखा की संस्तुति पर केन्द्रीय अध्यक्ष मनोनीत करेगा।

(य) जनपद शाखाओं, जिनमें 200 से अधिक सदस्य हैं, 200 से ऊपर प्रति 100 सदस्यों पर एक अतिरिक्त मनोनीत सदस्य, जिन्हें सम्बन्धित शाखा की संस्तुति पर केन्द्रीय अध्यक्ष मनोनीत करेगा।

उपधारा-21 : समिति की साधारण बैठक का कोरम कुल संख्या का 1/5 तथा आपातकालीन बैठक का कोरम 1/10 होगा।

उपधारा-22 : केन्द्रीय अध्यक्ष, केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, केन्द्रीय उपाध्यक्ष अथवा केन्द्रीय लेखा निरीक्षक अनुपस्थित के समय क्रम से सभापति का आसन ग्रहण करेंगे।

उपधारा-23 : समिति की साधारण बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार 15 दिन की पूर्व सूचना पर बुलायी जा सकेगी तथा आपातकालीन बैठक 5 दिन की पूर्व सूचना पर बुलायी जा सकेगी।

उपधारा-24 : समिति को राज्य के किसी संगठन की ओर से मांग-पत्र तैयार करने, विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने, सुझाव मांगने और उन्हे अन्तिम निर्णय से पूर्व सदस्यों में घुमाने का पूर्ण अधिकार होगा।

उपधारा-25 : समिति को राज्य के किसी संगठन व संगठनों से मिलकर सदस्यों के हित में कार्य करने का अधिकार होगा।

उपधारा-26 : समिति को अपने (कार्य-समिति) सदस्यों में से किसी विशेष कार्य के सम्पादन हेतु 'उप समिति' गठित करने का अधिकार होगा। संगठन भवन, सहयोग सदन एवं अन्य स्थानों पर स्थापित संगठन भवनों के अनुरक्षण, संरक्षण एवं आवश्यक विस्तार, सुरक्षा, पानी, बिजली सहित भवन से सम्बन्धी करों, भुगतान की योजना, करों की छूट के प्राविधान हेतु शासन से आदेश प्राप्त करने के लिये एक 'भवन समिति' का गठन किया जायेगा।

उपधारा-27 : केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति संगठन के व्यापक हित में किसी योग्य, विद्वान और गम्भीर विशिष्ट व्यक्ति को संगठन का 'संरक्षक' पद स्वीकार करने के लिये आमंत्रित कर सकेगी जिनकी संख्या अधिकतम दो होगी। ऐसे पात्र का चयन संगठन के सदस्यों में से अथवा बाहर से, जैसा उचित हो, किया जायेगा। 'संरक्षक' मुख्यतया गम्भीर स्थितियों में अपनी सलाह कार्यकारिणी समिति को देंगे एवं अनुरोध पर संगठन के प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व करेंगे।

उपशीर्षक-4 : जनपद शाखा (परिभाषा, गठन एवं कार्य) :-

उपधारा-28 : (अ) परिभाषा - प्रदेश के प्रत्येक जनपद में उस जनपद के नाम से संगठन की शाखा होगी।

(ब) उस जनपद में कार्यरत संगठन के सभी सदस्य उस जनपद शाखा के अन्तर्गत आयेंगे।

(स) उस जनपद में विभाग के जितने मण्डल तथा खण्ड स्थित हैं, प्रत्येक मण्डल के लिये मण्डल अध्यक्ष एवं मण्डल सचिव और प्रत्येक खण्ड के लिये खण्डीय अध्यक्ष एवं खण्डीय सचिव पदनाम के पदाधिकारी होंगे, जिनका चुनाव सम्बन्धित मण्डल तथा खण्ड में कार्यरत सदस्य करेंगे।

(द) उपरोक्त 'स' के अन्तर्गत निर्वाचित मण्डल/खण्ड अध्यक्ष एवं सचिव तथा जनपद में कार्यरत केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों/सदस्यों को मिलाकर जनपद शाखा कार्यकारिणी गठित होगी।

(य) उपरोक्त के अन्तर्गत जनपद कार्यकारिणी समिति सदस्यों में से ही जनपद शाखा अध्यक्ष, जनपद शाखा उपाध्यक्ष, सचिव, संगठन सचिव, वित्त सचिव, प्रचार सचिव एवं लेखा निरीक्षक होंगे। उक्त पदों का चुनाव जनपद शाखा के अधिकृत सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त 'द' के अन्तर्गत गठित कार्यकारिणी में यदि पांच सदस्य से कम होंगे तो जनपद शाखा में उपलब्ध सदस्यों में से उपरोक्त पदों के क्रम से पदाधिकारी चुने जायेंगे।

(र) किसी भी शाखा के पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष होगा और शाखाओं के चुनाव साधारण रूप में प्रत्येक वर्ष नवम्बर अथवा दिसम्बर माह में होंगे।

(ल) जनपद कार्यकारिणी शीर्षक-4, धारा-12, उपशीर्षक-1 'परिषद' के अन्तर्गत अपने जिले से प्रतिनिधियों का चुनाव करायेगी और केन्द्र को उनकी सूची उचित समय से भेजने की जिम्मेदार होगी।

(व) खण्ड/मण्डल पदाधिकारी अपने खण्ड/मण्डल की समस्याओं के लिये जनपद अध्यक्ष/सचिव को सूचित करते हुये सम्बन्धित अधिकारियों से पत्र-व्यवहार करेंगे और वार्ता द्वारा समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे।

(श) जनपद शाखा पदाधिकारी सम्बन्धित खण्ड/मण्डल शाखा पदाधिकारियों के सहयोग से विभिन्न समस्याओं के निराकरण

के लिये अधिकारियों से पत्र-व्यवहार करेंगे एवं प्रतिनिधि मण्डल बनाकर वार्ता द्वारा समस्यायें सुलझाने का प्रयास करेंगे।

(ष) जनपद सचिव, अपने जनपद की शाखा समिति एवं साधारण सदस्यों की सभा नियमित रूप से प्रतिमाह करने के उत्तरदायी होंगे। जनपद सचिव, जनपद की संगठनात्मक गतिविधियों, कार्यवाहियों का मासिक विवरण केन्द्र को भेजेंगे। जनपद सचिव द्वारा जनपद शाखा में नियमित बैठकें न आयोजित करने की स्थिति में जनपद अध्यक्ष मासिक बैठकें आयोजित कराने हेतु जनपद सचिव को निर्देश देंगे। यदि जनपद सचिव द्वारा निर्देश के बाद भी बैठक नहीं बुलायी जाती तो जनपद अध्यक्ष स्वयं सदस्यों की मासिक बैठक बुलायेंगे और इसकी सूचना क्षेत्रीय समिति एवं केन्द्रीय महासचिव को देंगे। जनपद वित्त सचिव अपने जनपद में सदस्यों/दानदाताओं से संकलित धन, मासिक विवरण सहित केन्द्र को भेजने के उत्तरदायी होंगे।

(त्र) सदस्यों से शुल्क, दान एकत्रीकरण शाखा पदाधिकारियों का संयुक्त उत्तरदायित्व होगा।

उपधारा-29 : खारा, पिपरी एवं माताटीला छोटी-छोटी परियोजनाओं तथा शक्ति भवन मुख्यालय में संगठन की जनपद स्तरीय शाखा तथा कार्यकारिणी समिति होगी, जिसका गठन, पदाधिकारियों का निर्वाचन जनपद शाखा की भांति होगा।

उपशीर्षक-5 : परियोजना शाखा :-

उपधारा-30 : ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनायें (जिनका मुखिया मुख्य अभियन्ता स्तर-1 अथवा मुख्य अभियन्ता स्तर-2 स्तर का हो) में संगठन की परियोजना शाखा तथा कार्यकारिणी होगी, सम्भाति ओबरा, अनपरा, पनकी, पारीछा एवं हरदुआगंज।

उपधारा-31 : उपर्युक्त उपधारा-28 में वर्णित नियम निम्न संशोधनों सहित प्रभावी होंगे :-

(अ) प्रत्येक स्थान पर जनपद के स्थान पर परियोजना पढ़ा जाय।

(ब) सम्बद्ध खण्डों के अध्यक्ष एवं सचिव कार्यकारिणी के सदस्य नहीं होंगे।

(स) परियोजना अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त शेष 5 पदाधिकारी कार्यकारिणी के सदस्यों तथा सम्बद्ध खण्डों के अध्यक्षों एवं सचिवों में से ही होंगे।

उपशीर्षक-6 : अंचल वितरण निगम शाखा :-

उपधारा-32 : उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सृजित प्रत्येक अंचल विद्युत वितरण निगम/कम्पनी स्तर पर संगठन की एक कार्यकारिणी होगी जो निम्न प्रकार गठित होगी :-

(अ) सम्बद्ध वितरण क्षेत्रों (जोन) के सातों पदाधिकारी।

(ब) सम्बद्ध जनपदों के अध्यक्ष एवं सचिव।

(स) सम्बद्ध मण्डलों के अध्यक्ष एवं सचिव।

(द) अंचल में कार्यरत केन्द्रीय पदाधिकारी तथा केन्द्रीय संचालन समिति/कार्यकारिणी समिति के समस्त सदस्य।

(य) इसके अतिरिक्त अंचल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संगठन सचिव, वित्त सचिव, प्रचार सचिव एवं लेखा निरीक्षक, जिसका निर्वाचन अंचल की कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा वार्षिक सभा में किया जायेगा। अंचल अध्यक्ष तथा सचिव को छोड़कर शेष 5 पदाधिकारी सम्बद्ध क्षेत्रों के क्षेत्रीय पदाधिकारी ही हो सकेंगे।

उपशीर्षक-7 : क्षेत्रीय शाखा (वितरण क्षेत्र) :-

उपधारा-33 : उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. द्वारा सृजित प्रत्येक वितरण क्षेत्र (जोन) स्तर पर संगठन की एक कार्यकारिणी होगी जो निम्न प्रकार गठित होगी :-

(अ) जनपदों के अध्यक्ष एवं सचिव।

(ब) क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त मण्डलों के अध्यक्ष एवं सचिव।

(स) क्षेत्र में कार्यरत केन्द्रीय पदाधिकारी तथा केन्द्रीय संचालन समिति/कार्यकारिणी के समस्त सदस्य तथा अंचल शाखा के निर्वाचित मनोनीत/पदेन सदस्य।

(द) इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संगठन सचिव, वित्त सचिव, प्रचार सचिव एवं लेखा निरीक्षक, जिनका निर्वाचन क्षेत्र की साधारण वार्षिक सभा में अधिकृत सदस्यों द्वारा किया जायेगा। क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त शेष 5 पदाधिकारी क्षेत्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ही हो सकेंगे।

उपशीर्षक-8 : क्षेत्रीय शाखा (वितरण के अतिरिक्त) :-

उपधारा-34 : उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सृजित प्रत्येक पारेषण, जनपद, विद्युत प्रदेय उपक्रम में क्षेत्रीय समितियां गठित होंगी, जिनमें क्षेत्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संगठन सचिव, वित्त सचिव, प्रचार सचिव एवं लेखा निरीक्षक के कुल 7 पद होंगे। इन पदाधिकारियों का चुनाव

सम्बद्ध मण्डल/खण्डों के अध्यक्षों एवं सचिवों द्वारा वार्षिक सभा में अपने में से ही किया जायेगा। विद्युत प्रदेय उपक्रम की क्षेत्रीय शाखा का चुनाव उपशीर्षक-7 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

उपशीर्षक-9 : निगम/कारपोरेशन शाखा :-

उपधारा-35 : उ०प्र० सरकार द्वारा सृजित ऊर्जा क्षेत्र में प्रत्येक निगम/कारपोरेशन/कम्पनी (जिनका मुखिया अध्यक्ष, सह प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक हो) की प्रान्तीय स्तर (पावर कारपोरेशन/उत्पादन निगम/पारेषण निगम/जल विद्युत निगम) की शाखा तथा उसकी कार्यकारिणी होगी। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संगठन सचिव, वित्त सचिव, प्रचार सचिव एवं लेखा निरीक्षक के पद होंगे, जिनका निर्वाचन शीर्षक-4, धारा-12, उपशीर्षक-5, उपधारा-31 के अनुसार निम्न संशोधनों सहित प्रभावी होंगे :-

(अ) प्रत्येक क्षेत्र/परियोजना के स्थान पर सम्बन्धित निगम/कारपोरेशन/कम्पनी का नाम पढ़ा जाय।

(ब) सम्बद्ध मण्डलों के अध्यक्ष एवं सचिव कार्यकारिणी के सदस्य नहीं होंगे।

(स) निगमों/कारपोरेशनों/कम्पनियों के अध्यक्ष एवं महासचिव के अतिरिक्त शेष पदाधिकारी कार्यकारिणी के सदस्यों में से तथा सम्बद्ध खण्डों/मण्डलों तथा सचिवों में से ही होंगे।

उपशीर्षक-10 : भवन समिति :-

संगठन भवन के अनुरक्षण/विस्तार के लिये एक भवन समिति का गठन किया जायेगा। भवन समिति में समिति के अध्यक्ष के अतिरिक्त चार सदस्य होंगे। यह समिति संगठन की सम्पत्ति के रूप में प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर निर्मित/स्थापित संगठन भवनों की भी देखरेख एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेगी। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जहां संगठन भवन कार्यालय स्थापित हैं, वहां स्थानीय भवन समिति भी होगी। स्थानीय भवन समितियां केन्द्रीय भवन समिति से सम्बद्ध रहेंगी और केन्द्रीय भवन समिति प्रदेश कार्यकारिणी समिति के मार्गदर्शन में निर्देशानुसार कार्य करेगी।

1. समिति का गठन :-

(अ) केन्द्रीय कार्यकारिणी के परामर्श पर केन्द्रीय भवन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन केन्द्रीय महासचिव की संस्तुति पर केन्द्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(ब) क्षेत्रीय/शाखा भवन/कार्यालय समितियों का गठन, क्षेत्रीय/शाखा कार्यकारिणी के परामर्शानुसार क्षेत्रीय/जनपद/परियोजना समितियों के सचिवों की संस्तुति पर शाखा/क्षेत्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

2. समिति का कार्यकाल :-

केन्द्रीय/क्षेत्रीय/परियोजना/शाखा भवन/कार्यालय समितियों का कार्यकाल सम्बन्धित स्तर की कार्यकारिणी के कार्यकाल तक सीमित होगी।

3. व्यय :-

भवन/कार्यालय का अनुरक्षण/विस्तार/संरक्षण/सुरक्षा आदि पर व्यय की योजना, भवन समिति, सम्बन्धित स्तर की कार्यकारिणी को प्रस्तुत करेगी और कार्यकारिणी उसके व्यय की व्यवस्था संगठन के बजट से करेगी। व्यय एवं व्यय विवरण भी संगठन के नियंत्रण से होगा।

उपशीर्षक-11 : उच्चाधिकार समिति :-

उपधारा-41 : परिषद द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी तथा निगमों/कारपोरेशन/कम्पनी (सम्प्रति उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि., उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि., उ.प्र. जल विद्युत निगम लि. तथा केस्को, कानपुर, पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल वितरण निगम) के अध्यक्ष एवं महासचिव उच्चाधिकार समिति के सदस्य होंगे।

उपधारा-42 : विशेष परिस्थितियों में उच्चाधिकार समिति की बैठक किसी भी समय आहूत की जा सकती है तथा लिये गये निर्णय की पुष्टि/अनुमोदन एक माह के अन्दर केन्द्रीय संचालन समिति से कराना आवश्यक होगा, सामान्य परिस्थितियों में बैठक प्रत्येक माह होगी।

उपधारा-43 : उच्चाधिकार समिति का कोरम 1/4 होगा।

शीर्षक -5

धारा-13 : केन्द्रीय पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

उपशीर्षक-1 : केन्द्रीय अध्यक्ष :-

उपधारा-1 : संगठन के संवैधानिक प्राविधानों के अनुरूप संगठन की कार्यविधि का पथ प्रदर्शन करेगा और परिषद, संचालन समिति एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक का सभापतित्व करेगा।

उपधारा-2 : संगठन के प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व करेगा।

उपधारा-3 : संगठन के परिषद द्वारा अनुमोदित लेखा नियमों के अनुरूप आर्थिक नियंत्रण करेगा।

उपधारा-4 : परिषद, संचालन समिति तथा कार्यकारिणी समिति की बैठकों को विशेष परिस्थितियों में बुलाने, स्थगित करने अथवा विसर्जित करने का काम करेगा।

उपधारा-5 : संगठन के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं सदस्यों में संगठन के अनुशासन के अनुरूप आचरण बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा एवं एतदर्थ केन्द्रीय महासचिव के अतिरिक्त किसी भी निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारी अथवा सदस्य के विरुद्ध केन्द्रीय महासचिव की सहमति से अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकेगा।

उपधारा-6 : विशेष परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर कार्यकारिणी के प्रस्ताव के बिना भी संगठन के उद्देश्यों, नीतियों अथवा कार्यक्रमों की पूर्ति के लिये निर्णय लेकर उसे कार्यान्वित कर सकेगा, किन्तु ऐसे नियमों और कार्यों पर संचालन समिति का समर्थन एवं स्वीकृति अगले एक सप्ताह में लेनी अनिवार्य होगी।

उपशीर्षक-2 : वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष :-

उपधारा-7 : यदि कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अध्यक्ष का स्थान रिक्त हो जाय तो शेष काल के लिये वरिष्ठ उपाध्यक्ष केन्द्रीय अध्यक्ष का कार्य करेगा।

उपधारा-8 : केन्द्रीय अध्यक्ष की अनुपस्थिति में क्रमशः सभा का सभापतित्व करेंगे।

उपधारा-9 : संगठन सम्बन्धी कार्यों का पर्यवेक्षण, निरीक्षण तथा प्रचार करने का विशेष उत्तरदायित्व होगा।

उपधारा-10 : केन्द्रीय अध्यक्ष के कार्यों में सहयोग करेंगे एवं केन्द्रीय अध्यक्ष द्वारा हस्तान्तरित अधिकार एवं कर्तव्यों का पालन करेंगे।

उपशीर्षक-3: केन्द्रीय महासचिव :-

उपधारा-11 : समिति एवं केन्द्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करेगा।

उपधारा-12 : संगठन का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होगा।

उपधारा-13 : संगठन की ओर से आवश्यक पत्र-व्यवहार करेगा। परिषद एवं समिति की बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखेगा।

उपधारा-14 : केन्द्रीय अध्यक्ष की अनुमति से उच्चाधिकार समिति, संचालन समिति, कार्यकारिणी समिति अथवा परिषद की बैठक बुलायेगा।

उपधारा-15 : निर्वाचित लेखा निरीक्षक द्वारा लेखा का निरीक्षण करायेगा।

उपधारा-16 : एक समय में रु. 2000/- (रु. दो हजार) का भुगतान कर सकेगा।

उपधारा-17 : वार्षिक सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिये संगठन के कार्य का विवरण (वार्षिक प्रतिवेदन) तैयार करेगा।

उपधारा-18 : यदि कोष पर्याप्त हो तो कार्यालय के कार्य सम्पादन हेतु वैतनिक सहायक की नियुक्ति कर सकेगा।

उपधारा-19 : बजट एवं लेखा नियमों के सीमांतर्गत समस्त खर्चे के चिट्ठे को भुगतान हेतु वित सचिव के पास भेजेगा।

उपधारा-20 : संगठन की ओर से अधिकृत समझौतों पर हस्ताक्षर करेगा।

उपधारा-21 : विभिन्न शाखाओं के गठन एवं संचालन पर सतर्क दृष्टि रखेगा और आवश्यकतानुसार उन्हें क्रियात्मक निर्देश देगा।

उपशीर्षक-4: संगठन सचिव :-

उपधारा-22 : सदस्यों से व्यापक सम्पर्क स्थापित करके संगठन को सुदृढ़ बनायेंगे।

उपधारा-23 : प्रदेश का दौरा करके संगठन की जिला शाखाओं एवं अन्य शाखाओं का चुनाव पूर्ण करायेंगे।

उपधारा-24 : सदस्यों से कोष एकत्रित करेंगे एवं उनके संगठनात्मक रुचि उत्पन्न करने में सहायता करेंगे।

उपशीर्षक-5: वित्त सचिव :-

उपधारा-25 : लेखा नियमों के अनुरूप एकत्रित धन बैंक में जमा करायेगा। लेखा पुस्तक रखेगा जिसमें आय व्यय का सम्पूर्ण विवरण अंकित करेगा। सदस्यों को सदस्यता संख्या एवं प्रमाण-पत्र देगा। शाखाओं को दी जाने वाली रसीद बही व अन्य स्टेशनरी का लेखा रखेगा। बजट के अनुसार केन्द्रीय महासचिव एवं केन्द्रीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत बाउचरों का भुगतान करेगा। पांच सौ रुपये से ज्यादा के बाउचर का भुगतान चेक द्वारा करेगा। विवादास्पद समस्याओं में अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करेगा।

उपशीर्षक-6 : प्रचार सचिव :-

उपधारा-26 : संगठन के द्वारा सदस्यों को भेजे जाने वाली पत्रिकाओं एवं अभिलेखों के सम्पादन एवं वितरण के लिये उत्तरदायी होगा।

उपधारा-27 : समय-समय पर संगठन की गतिविधियों को सदस्यों तक पहुंचाने की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

उपशीर्षक-7 : उप महासचिव :-

विभिन्न निगमों/कारपोरेशनों/कम्पनियों में कार्यरत सदस्यों की स्थानीय एवं नीतिगत समस्याओं के निस्तारण कराने हेतु उत्तरदायी होंगे।

उपधारा-28 : बैठकों की कार्यवाही लिखेंगे।

उपधारा-29 : केन्द्रीय महासचिव कार्यालय में उसकी ओर से पत्राचार करेंगे।

उपधारा-30 : संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिये दौरा करेंगे, सदस्य बनायेंगे और धन एकत्रित करेंगे।

उपधारा-31 : केन्द्रीय महासचिव के निर्देशानुसार अन्य संगठनात्मक कार्य भी करेंगे।

उपशीर्षक-8: लेखा निरीक्षक :-

उपधारा-32 : वर्ष में कम से कम एक बार लेखा निरीक्षण करेंगे।

उपधारा-33 : संगठन हित में केन्द्रीय अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये जाने पर अनेक बार भी निरीक्षण करेगा और लेखा निरीक्षक रिपोर्ट केन्द्रीय महासचिव को प्रस्तुत करेंगे।

उपधारा-34 : केन्द्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की कार्यवाही की अध्यक्षता करेंगे।

उपशीर्षक-9 : सचिव भवन समिति :-

उपधारा-35 : संगठन भवन के रखरखाव के लिये उत्तरदायी होगा।

उपधारा-36 : संगठन भवन के रख-रखाव/निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कर केन्द्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय महासचिव के परामर्श के बाद केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

उपधारा-37 : संगठन भवन के निर्माण/रखरखाव पर आने वाले आय-व्यय के लेखा-जोखा वित सचिव को प्रस्तुत करेगा।

उपशीर्षक-10: सचिव, कल्याण योजना समिति :-

उपधारा-38 : कल्याण योजना के वित्त का लेखा-जोखा रखेगा।

उपधारा-39 : कल्याण योजना के अध्यक्ष की अनुमति से बैठक आहूत करेंगे तथा उसका संचालन करेगा।

उपधारा-40 : कल्याण योजना के आय-व्यय एवं गतिविधियों का लेखा-जोखा संगठन की परिषद में रखेगा।

शीर्षक - 5 (क)

धारा-13(क) : अंचलीय/क्षेत्रीय/परियोजना/उपक्रम/जनपद स्तर के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

उपधारा-41 : अंचलीय/क्षेत्रीय/परियोजना/उपक्रम/जनपद स्तर के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य निम्न संशोधनों सहित, उपर्युक्त शीर्षक 5 के अन्तर्गत उपशीर्षक 1 से 8 तक वर्णित समकक्ष पदों के अधिकार/कर्तव्य की भांति होंगे :-

(अ) परिषद के स्थान पर साधारण सभा पढ़ा जाय।

(ब) संचालन समिति को निरस्त समझा जाय।

(स) किसी सदस्य के संगठन से निष्कासन/निलम्बन की कार्यवाही इन स्तरों से नहीं की जायेगी। आवश्यक होने पर सम्पूर्ण आख्या केन्द्र को प्रेषित की जायेगी।

(द) उपाध्यक्ष के अधिकारों/कर्तव्यों में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के अधिकार/कर्तव्य भी समाहित होंगे।

(य) संगठन सचिव के अधिकारों/कर्तव्यों में उप महासचिव के अधिकार/कर्तव्य भी समाहित होंगे।

शीर्षक - 6 : विविध

धारा-14 : (अ) जनपद शाखा संकलित वार्षिक सदस्यता शुल्क में से रु. 400/- (रु. चार सौ मात्र) प्रति सदस्य की दर से जनपद शाखाओं में रखकर शेष रु. 600/- (छः सौ रुपये मात्र) प्रति सदस्य केन्द्र को भेजेगी। अंचल एवं क्षेत्रीय शाखा अपना-अपना अंशदान रु. 100/- (रु. एक सौ मात्र) प्रति सदस्य की दर से जनपद शाखाओं से प्राप्त करेंगी। शेष रु. 200/- (रु. दो सौ मात्र) जनपद इकाई के व्यय हेतु जनपद शाखा के पास रहेगा।

(ब) परियोजना शाखा रु. 300/- (रु. तीन सौ मात्र) प्रति सदस्य की दर से स्थानीय व्यय एवं रु. 100/- निगम शाखा के लिए रखकर वार्षिक सदस्यता शुल्क के शेष रु. 600/- (रु. छः सौ मात्र) केन्द्र को भेजेगी।

धारा-15 : क्षेत्रीय/परियोजना एवं जिला शाखायें भी अपना आय-व्यय लेखा नियमों के अनुसार रखेंगी और प्रतिवर्ष अपना प्रमाणित लेखा केन्द्र को प्रस्तुत करेंगी।

धारा-16 : जनपद/परियोजना एवं क्षेत्रीय शाखायें समस्त संकलित धन का विवरण एवं धन केन्द्र को प्रतिमास भेजती रहेंगी।

धारा-17 : जनपद शाखायें समय-समय पर सभायें आयोजित करेंगी और कार्यवाही का विधिवत् रिकार्ड रखेंगी तथा प्रतिलिपि केन्द्र एवं क्षेत्र को भेजेंगी। कार्यवाही सभापति एवं सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होगी।

धारा-18 : खण्ड अध्यक्ष/सचिव एवं मण्डल अध्यक्ष/सचिव के निम्न कार्य होंगे :-

उपधारा-1 : सदस्यों के स्थानान्तरण एवं नवनियुक्ति की सूचना जिला वित्त सचिव एवं केन्द्रीय वित्त सचिव को अनिवार्य रूप से देना।

उपधारा-2 : किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके विवरण और उसकी पारिवारिक स्थिति से केन्द्रीय महासचिव को सूचित करना।

उपधारा-3 : अपने खण्ड में शत्-प्रतिशत सदस्य बनाना और सभी सदस्यों का आद्यान्त शुल्क वसूल करना।

उपधारा-4 : अपने खण्ड में सदस्यों की व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं का समाधान अपने स्तर से कराने का प्रयास करेंगे। इस सन्दर्भ में आवश्यकतानुसार जिला, क्षेत्रीय समिति का सहयोग प्राप्त करेंगे। साधारणतया मुख्य अभियन्ता एवं निगम/कारपोरेशन स्तर की समस्याओं को ही केन्द्रीय कार्यालय में प्रेषित करेंगे।

उपधारा-5 : परिषद अथवा संचालन/कार्यकारिणी समिति के निर्णयों पर स्थानीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त करेंगे।

उपधारा-6 : अपने प्रशासनिक अधिकारियों से स्थानीय समस्याओं पर विचार/पत्रचार करेंगे और उसकी प्रतिलिपि हर स्तर के उच्च पदाधिकारी एवं केन्द्रीय कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

धारा-19 : मण्डल, जिला, परियोजना, क्षेत्रीय एवं अंचलीय सचिव भी धारा-18 (उपधारा 1 से 6) के अनुसार अपने स्तर पर पत्र व्यवहार करेंगे।

शीर्षक - 7 : केन्द्रीय संचालन/समिति के पदाधिकारी तथा सदस्यों के निर्वाचन

धारा-20 : शीर्षक 4 में उल्लिखित समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन प्रतिवर्ष एतदर्थ बुलाये गये परिषद के सम्मेलन में संविधान में निर्दिष्ट चुनाव निगमों के अनुरूप प्रतिनिधियों एवं अधिकृत सदस्यों दोनो में से किया जा सकेगा।

धारा-21 : चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने पर चुने गये समस्त पदाधिकारी व सदस्य चुनाव अधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण कराने के पश्चात् अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। किसी के अनुपस्थित रहने पर बाद में केन्द्रीय अध्यक्ष द्वारा शपथ ग्रहण करायी जायेगी।

धारा-22 : वार्षिक चुनाव के पश्चात् यदि कोई पद रिक्त हो जाय तो संगठन के कार्य संचालन के लिये उस स्थान पर केन्द्रीय अध्यक्ष मनोनयन करेगा एवं आगामी कार्यकारिणी बैठक में स्वीकृति ले लेगा।

शीर्षक - 8 : सदस्यता का स्थगन

धारा-23 : संगठन की सदस्यता निम्न परिस्थितियों में समाप्त समझी जायेगी :-

(अ) त्याग पत्र देने पर।

(ब) देहावसान होने पर।

(स) वार्षिक शुल्क उसी वर्ष में न देने पर।

(द) चारित्रिक अपराध में दण्डित होने पर।

(य) संगठन के विरुद्ध कार्य करने पर समिति की इसी निमित्त बुलायी गयी बैठक में उपस्थित 3/4 सदस्यों के द्वारा निष्कासन पर।

शीर्षक - 9 : पुर्नसदस्यता

धारा-24 : (अ) त्याग-पत्र देने के कारण यदि किसी की सदस्यता समाप्त होती है तो पुनः सदस्यता संगठन के अधिकृत दो पदाधिकारियों के अनुमोदन पर दी जा सकेगी।

(ब) शुल्क बकाया होने पर स्थगित सदस्यता पूर्ण बकाया शुल्क जमा करने पर दी जा सकेगी।

(स) अन्य किसी कारण से स्थगित सदस्यता को पुनः प्रदान करने के प्रार्थना पत्र पर केवल कार्यकारिणी निर्णय लेगी।

शीर्षक -10 : पदाधिकारियों एवं सदस्यों के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही

धारा-25 : (अ) संगठन के किसी सदस्य, कार्यकर्ता अथवा किसी भी स्तर के पदाधिकारी द्वारा संगठन के हितों के विरुद्ध कार्य करने अथवा संविधान के प्राविधानों का उल्लंघन कर कार्य करने पर उसके विरूद्ध निम्न रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) संगठन के केन्द्रीय अध्यक्ष, केन्द्रीय महासचिव की संस्तुति पर स्वयं संतुष्ट होकर या स्वयं संतुष्ट होने पर केन्द्रीय महासचिव की सहमति लेकर, केन्द्रीय महासचिव के अतिरिक्त किसी भी स्तर के 'पदाधिकारी', कार्यकारिणी सदस्यों अथवा साधारण सदस्यों के विरुद्ध चेतावनी देने, चार्जशीट देने और/अथवा निलम्बित करने तक की कार्यवाही कर सकेंगे। ऐसी कार्यवाही की पुष्टि आगामी एक माह में केन्द्रीय संचालन समिति द्वारा बहुमत से कराना अनिवार्य होगा।

(स) संगठन की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, दो तिहाई बहुमत से केन्द्रीय महासचिव सहित किसी भी स्तर के पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, साधारण सदस्य के विरुद्ध चेतावनी देने, चार्जशीट देने, निलम्बित करने, पदमुक्त करने और/अथवा निश्चित या अनिश्चित समय तक के लिये संगठन से निष्कासन तक करने में सक्षम होगी।

(द) केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यों (निगम/अंचल/क्षेत्रीय/परियोजना अध्यक्ष/सचिव सहित) के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा केवल केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति में रखा जा सकेगा। निगम/अंचल/क्षेत्रीय/परियोजना के अध्यक्ष, सचिव से सम्बन्धित निगम/अंचल/क्षेत्रीय परियोजना के अधिकृत सदस्यों की कुल संख्या के 1/5 सदस्य यदि सकारण लिखित अविश्वास प्रस्ताव केन्द्रीय महासचिव को भेजें तो केन्द्रीय महासचिव उसे विचारार्थ केन्द्रीय कार्यकारिणी में रखेंगे। कोई भी अविश्वास

प्रस्ताव कार्यकारिणी में उपस्थित (कोरम के अनुसार) सदस्यों के 2/3 बहुमत से ही स्वीकृति होगा।

(य) जिस व्यक्ति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत होता है, वह अविश्वास प्रस्ताव की स्वीकृत के दिनांक से आगे दो वर्ष तक संगठन में किसी भी स्तर का पदाधिकारी बनने अथवा किसी भी स्तर की कार्यकारिणी का सदस्य बनने के लिये अयोग्य होगा।

(र) खण्ड/मण्डल तथा जनपद के अध्यक्ष, सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी के विरुद्ध सम्बन्धित शाखा के कम से कम 25 प्रतिशत सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पूर्ण विवरण सहित 15 दिन पूर्व प्रस्तावित की जायेगी। सम्बन्धित अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में विचारणीय सभा की अध्यक्षता खण्ड सभा की मण्डल अध्यक्ष, मण्डल सभा की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष/सचिव करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धित खण्ड/मण्डल/जनपद शाखा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित किया जा सकेगा। निगम/अंचल/क्षेत्रीय/परियोजना अध्यक्ष/सचिव के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव निगम/अंचल/क्षेत्रीय कार्यकारिणी/परियोजना समिति की सभा में 2/3 के बहुमत से पारित किया जा सकेगा। पदोपरान्त पदमुक्त किया जा सकेगा।

(ल) दोषी इंगित सदस्य/पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के पूर्व स्पष्टीकरण का अवसर दिया जायेगा।

धारा-26 : किसी भी समिति का कोई सदस्य यदि बिना उचित कारण के लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहेगा तो वह स्वतः पदमुक्त हो जायेगा।

धारा-27 : संगठन के हित में अध्यक्ष का निर्वाचन अथवा निष्कासन केवल परिषद द्वारा ही किया जायेगा।

शीर्षक-11 : संगठनात्मक व्यय

धारा-28 : संगठन का आर्थिक वर्ष प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसम्बर होगा।

धारा-29 : प्रत्येक वर्ष के सम्पूर्ण व्यय का मूलाधार प्रतिवर्ष स्वीकृत आगामी वर्ष का बजट होगा। बजट में स्वीकृत मदों के अतिरिक्त कोई भी धन किसी अन्य मद में बिना कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के खर्च नहीं किया जायेगा।

धारा-30 : केन्द्रीय कार्यालय को प्राप्त सम्पूर्ण धन के रखरखाव और खर्च की सामूहिक जिम्मेवारी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की होगी और शाखा में उसकी कार्यकारिणी की ।

धारा-31 : केन्द्रीय महासचिव की स्वीकृति के उपरान्त वित्त सचिव रु. 2000/- (दो हजार) से अधिक का भुगतान केवल चेक द्वारा करेगा। वित्त सचिव अधिकतम रु. 2000/- (दो हजार) अपने पास रखेगा और इससे अधिक बैंक में जमा करायेगा। रु. 5000/- (पाँच हजार) से अधिक का भुगतान केन्द्रीय अध्यक्ष की अनुमति से करके आगामी कार्यसमिति की बैठक में इसकी स्वीकृति ले ली जाय।

धारा-32 : संगठन का खाता किसी व्यक्ति के नाम से न होकर केवल संगठन के नाम से ही खोला जायेगा।

धारा-33 : (अ) संगठन के हित में आर्थिक वर्ष के बीच में निर्धारित धनराशि होते हुये भी व्यय पर केन्द्रीय अध्यक्ष द्वारा रोक लगायी जा सकती है।

(ब) जनपदों/परियोजनाओं/क्षेत्रों/निगमों परिक्षेत्रों का लेखा सम्बन्धित वित्त सचिव रखेंगे। खाता दो पदाधिकारियों द्वारा संचालित किया जायेगा यथा अध्यक्ष एवं वित्त सचिव।

शीर्षक-12 : सामान्य

धारा-34 : किसी विशिष्ट विषय पर निर्णय हेतु कम से कम दस जनपद समितियों अथवा 125 सदस्यों द्वारा लिखित आवेदन करने पर केन्द्रीय अध्यक्ष की अनुमति से केन्द्रीय महासचिव, परिषद अथवा कार्यसमिति का आपात सम्मेलन बुला सकेगा।

धारा-35 : कार्य समिति के सदस्यों का 1/2 भाग, यदि इच्छा व्यक्त करे, तो कार्य समिति की आवश्यक बैठक एक सप्ताह की सूचना पर बुलायी जा सकेगी।

धारा-36 : परिषद अथवा कार्यसमिति किसी उपसमिति अथवा प्रतिनिधि मण्डल का निर्माण किसी विशिष्ट कार्य सम्पादन हेतु कर सकेगी।

धारा-37 : संविधान के नियमों में संशोधन अथवा परिवर्तन केवल परिषद द्वारा बहुमत के आधार पर किया जा सकेगा।

धारा-38 : सम्मेलन का व्यय और केन्द्रीय पदाधिकारियों द्वारा किया गया मार्ग व्यय संगठन के केन्द्रीय कोष से होगा।

धारा-39 : किसी भी पदाधिकारी द्वारा अपने अधिकार का दुरुपयोग करने पर कार्यसमिति उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी। जिसकी अपील उससे उच्चतर समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।

धारा-40 : यदि किसी खण्ड/मण्डल/जिला में बैठक बुलाकर चुनाव करना सम्भव नहीं हो तो केन्द्रीय महासचिव, क्षेत्रीय/परियोजना शाखा समिति की सलाह से तदर्थ समिति नियुक्त कर सकेगा।

धारा-41 : प्रवेश पत्र, रसीद बुकें व अन्य लेखन सामग्री सभी शाखाओं को केन्द्र से प्राप्त होगी।

धारा-42 : समिति का सदस्य समिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिये अथवा संगठन कार्य हेतु यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार मार्ग व्यय केन्द्रीय अध्यक्ष या केन्द्रीय महासचिव की स्वीकृति पर प्राप्त कर सकेगा।

धारा-43 : यात्रा भत्ता बिल या अन्य बिल 6 माह के अन्दर प्रस्तुत न किये जाने पर उसके भुगतान की जिम्मेदारी संगठन पर नहीं होगी।

धारा-44 : साधारणतया जो प्रस्ताव शाखाओं से स्वीकृत न हों वह परिषद अथवा समिति में विचारार्थ प्रस्तुत नही किये जा सकेंगे। प्रस्ताव बैठक से एक सप्ताह पूर्व केन्द्र में पहुंच जाने चाहिये।

धारा-45 : कार्यसमिति की बैठक परिषद सम्मेलन के एक दिन पूर्व होगी और आये हुये प्रस्तावों पर विचार करेगी। स्वीकृत प्रस्तावों को ही सम्मेलन के एजेण्डे पर रखेगी।

धारा-46 : कोई भी सदस्य प्रस्ताव/संशोधन के पक्ष अथवा विपक्ष में केवल एक बार बोल सकेगा। अन्त में प्रस्तावक को पुनः अवसर दिया जायेगा। सदन का निर्णय अन्तिम होगा। स्वीकृत प्रस्ताव सदस्यों की जानकारी हेतु वितरित किये जायेंगे।

धारा-47 : संगठन की सम्पत्ति यथावत् संगठन की होगी। केन्द्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय महासचिव उसके संरक्षक होंगे।

धारा-48 : जब तक वर्ग कर्मचारियों की संख्या का 1/10 भाग संगठन का सदस्य रहेगा, संगठन का विघटन नहीं किया जा सकेगा।

धारा-49 : प्रत्येक सदस्य अपना पता बदलने की सूचना खण्ड सचिव, जनपद सचिव एवं केन्द्रीय महासचिव को देगा अन्यथा पूर्व पते पर भेजी गयी सूचना पहुंची हुई समझी जायेगी।

धारा-50 : प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा कि वह संगठन कार्यों में रूचि ले और संगठन के निर्धारित उद्देश्यों व कार्यक्रमों के अनुरूप व्यवहार करें।

धारा-51 : संगठन द्वारा स्वीकृत समस्त प्रस्ताव एवं ज्ञापन प्रत्येक सदस्य के लिये मान्य होंगे और उनके अनुसार कार्य करना प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा।

धारा-52 : समिति के सदस्यों में विचार विभिन्नता होने की दशा में परिषद का निर्णय अन्तिम होगा।

धारा-53 : परिषद की अनुमति बिना सुरक्षित कोष खर्च नहीं किया जा सकेगा। विशेष स्थिति में भी केन्द्रीय अध्यक्ष की अनुमति के बिना सुरक्षित कोष खर्च नहीं किया जा सकेगा। विशेष स्थिति में केन्द्रीय अध्यक्ष की

अनुमति से वर्ष में अधिकतम रु. 2000/- (रु. दो हजार मात्र) निकाले जा सकेंगे, जिसकी पुष्टि परिषद से अगली प्रथम बैठक में लेना अनिवार्य होगा।

धारा-54 : संगठन विभागीय अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष प्रत्यक्षतः रखेगा और ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अधीन वैधानिक उपायों का अवलम्बन लेगा।

धारा-55 : नियमों में संशोधन, वार्षिक कार्यवाही और निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची प्रशासन को प्रस्तुत की जायेगी।

धारा-56 : समिति के पदाधिकारी आवश्यकतानुसार दौरा करेंगे, सदस्य बनायेंगे, चन्दा एकत्र करेंगे और सदस्यों की समस्या अंकित करेंगे। प्रत्येक संगठन कार्य एवं यात्रा की रिपोर्ट केन्द्र को प्रस्तुत होगी।

धारा-57 : विशेष परिस्थिति में संगठन, कार्य समिति की अनुमति से, किसी सदस्य अथवा उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा।

धारा-58 : व्यवसायिक ज्ञान वृद्धि हेतु संगठन पत्रिका आदि प्रकाशित कर सकेगा।

धारा-59 : संगठन प्रशासनाधिकारियों को भ्रष्टाचार रहित प्रशासन की स्थापना एवं कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु उपयोगी सुझाव दे सकेगा।

धारा-60 : संगठन राजनीतिक एवं साम्प्रदायिक गतिविधियों में कोई भाग नहीं लेगा।

परिशिष्ट 'क'

(शीर्षक–2 धारा-4)

प्रवेश पत्र

राज्य विद्युत परिषद
जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश

मै.....आत्मज.....

जन्म तिथि.....नियुक्ति दिनांक.....

पद.....विभागीय वरिष्ठता क्रमांक.....

स्वयं को राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश का सदस्य घोषित करता हूँ।

संगठन द्वारा स्वीकृत सभी नियम व प्रस्ताव एवं तद्नुसार अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णय मुझे मान्य होंगे।

मैं रु. 100/- (रु. एक सौ मात्र) प्रवेश शुल्क तथा रु. 1000/- (रु. एक हजार मात्र) वार्षिक शुल्क अथवा रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र) आजीवन सदस्यता शुल्क जमा कर रहा हूँ।

पूरा पता (स्थायी) .....

.....

(अस्थायी).....

.....

दिनांक : ..... हस्ताक्षर : .....

पद : .....

विभागीय वरिष्ठता क्र०.....

ह० प्रस्तावक.....

नाम व पद.....

सदस्य पंजिका में क्र०सं० .....

महासचिव

वित्त सचिव

परिशिष्ट 'क'

(शीर्षक 4 धारा 12)

चुनाव नियम

नियम-1 : चुनाव अधिकारी की नियुक्ति, योग्यता और कार्य

धारा-1 : परिषद प्रतिवर्ष की अपनी प्रथम वार्षिक बैठक में सर्वप्रथम कार्य के रूप में सदन में उपस्थित किसी भी प्रतिनिधि अथवा अधिकृत सदस्य को, जो किसी पद का उम्मीदवार न होने की सार्वजनिक घोषणा करे, चुनाव अधिकारी नियुक्त करेगी।

धारा-2 : चुनाव अधिकारी का कार्यकाल तब तक रहेगा जब तक आगामी वार्षिक सम्मेलन में वह स्वयं अथवा दूसरा व्यक्ति उपर्युक्त के अनुसार चुनाव अधिकारी नहीं चुन लिया जाता।

धारा-3 : चुनाव अधिकारी अपने कार्यकाल में केन्द्रीय कार्यकारिणी में 'विशेष आनंत्रित' सदस्य के रूप में भाग लेगा। वह विचार-विमर्श में भाग ले सकेगा, किन्तु मतदान नहीं कर सकेगा।

धारा-4 : चुनाव प्रक्रिया सम्बन्धी विवाद में चुनाव अधिकारी का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

धारा-5 : (अ) अंचलीय/क्षेत्रीय/परियोजना/उपक्रम स्तर के निर्वाचन केन्द्रीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत निर्वाचन अधिकारी (यथासम्भव केन्द्रीय संगठन सचिव) द्वारा, परियोजना/उपक्रम के अधीन/मण्डल/खण्ड के सम्बन्धित परियोजना/उपक्रम संगठन सचिव द्वारा, जनपद के सम्बन्धित क्षेत्रीय संगठन सचिव द्वारा तथा जनपद के मण्डल/खण्ड के सम्बन्धित जनपद संगठन सचिव द्वारा सम्पन्न कराये जायेंगे।

(ख) निगमों/कारपोरेशनों की प्रान्तीय कार्यकारिणियों का चुनाव केन्द्रीय चुनाव अधिकारी द्वारा वार्षिक सभा में निगमों/कारपोरेशनों में सम्बन्धित प्रतिनिधियों से कराया जायेगा।

धारा-6 : धारा-5 के अन्तर्गत मनोनीत चुनाव अधिकारी चुनाव सम्पन्न कराकर इनकी सूचना तत्काल केन्द्र एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय अध्यक्ष को भेज देंगे। सन्तुष्ट होने पर केन्द्रीय कार्यालय से इन निर्वाचनों की अधिसूचना कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से जारी कर दी जायेगी, जिसे परिषद के सम्बन्धित अधिकारी एवं निर्वाचित पदाधिकारियों को भेजा जायेगा। केन्द्र द्वारा अधिसूचना जारी होने पर ही सम्बन्धित शाखाओं के पदाधिकारी वैध रूप से निर्वाचित माने जायेंगे एवं अपने पद पर कार्य करने के अधिकारी होंगे।

नियम-2 : उम्मीदवारों (केवल पदाधिकारी) की योग्यता।

धारा-1 : केवल प्रतिनिधि, जिसने आद्यान्त शुल्क जमा कर दिया हो, केन्द्रीय पदों का उम्मीदवार हो सकेगा।

धारा-2 : केन्द्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रतिनिधि के लिये आवश्यक है कि वह कम से कम तीन वर्ष लगातार केन्द्रीय संचालन समिति का सदस्य रहा हो।

धारा-3 : वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, केन्द्रीय महासचिव एवं वित्त सचिव पद के उम्मीदवार प्रतिनिधि के लिये आवश्यक है कि वह कम से कम दो वर्ष लगातार केन्द्रीय संचालन समिति का सदस्य रहा हो।

धारा-4 : उपमहासचिव, संगठन सचिव, प्रचार सचिव एवं लेखा निरीक्षक पद के उम्मीदवार प्रतिनिधि के लिये आवश्यक है कि वह कम से कम दो वर्ष लगातार केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति का सदस्य रहा हो। निगमों/कारपोरेशनों/केस्को के नामित पदों के लिये आवश्यक है कि वह उसी सम्बन्धित निगम/कारपोरेशन में कार्यरत हो।

धारा-5 : अंचल अध्यक्ष/सचिव पद के उम्मीदवार के लिये आवश्यक है कि वह कम से कम दो वर्ष लगातार केन्द्रीय पदाधिकारी अथवा क्षेत्र/परियोजना/उपक्रम का अध्यक्ष/सचिव रहा हो।

धारा-6 : क्षेत्र/परियोजना/उपक्रम/जनपद शाखा के अध्यक्ष एवं सचिव पद के प्रत्याशी के लिये अनिवार्य है कि वह कम से कम तीन वर्ष, संगठन की किसी भी स्तर की किसी भी शाखा की कार्यकारिणी का सदस्य रहा हो।

धारा-7 : संगठन के किसी भी स्तर के किसी भी पद के लिये कोई ऐसा सदस्य प्रत्याशी नहीं हो सकेगा जिसे विभाग में रिश्वत अथवा गबन के आरोप सिद्ध होने पर सजा मिल चुकी हो।

धारा-8 : किसी भी स्तर के पद के उम्मीदवार के लिये आवश्यक है कि वह संगठन की कल्याण योजना के समस्त चरणों का सदस्य हो।

धारा-9 : किसी भी स्तर के वित्त सचिव तथा लेखा निरीक्षक लगातार दो वर्ष के बाद पुनः उसी पद पर नामांकन नही कर सकेंगे।

धारा-10 : संगठन की केन्द्रीय, अंचल, क्षेत्रीय, परियोजना एवं जनपद स्तर की समितियों में एक पद पर एक व्यक्ति निरन्तर तीन वर्ष तक पदाधिकारी रहने के उपरान्त पुनः उसी पद पर प्रत्याशी के लिये नामांकन नहीं प्रस्तुत करेगा। यदि किसी विशेष परिस्थिति में उस पद पर कोई नामांकन नहीं प्रस्तुत होता है और निरन्तर तीन वर्ष तक कार्य कर चुके

पदाधिकारी को पुनः उसी पद हेतु सर्वसम्मति से दायित्व निर्वाह का आग्रह किया जाता है, तो पूर्व पदाधिकारी ऐसी स्थिति में पुनः उसी पद पर दायित्व निर्वाह की सहमति देकर नामांकन-पत्र निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा।

धारा-11 : विभिन्न स्तर की समितियों में पदाधिकारियों की पात्रता निम्नानुसार होगी :-

1. खण्ड स्तर के पदाधिकारियों की पात्रता :-
   संगठन का निरन्तर कम से कम दो वर्ष से सामान्य सदस्य हो।
2. मण्डल स्तर के पदाधिकारियों का पात्रता :-
   खण्ड स्तर की किसी भी समिति में कम से कम दो वर्ष का अनुभव।
3. जनपद स्तर के पदाधिकारियों की पात्रता :-
   मण्डल/खण्ड स्तर की किसी भी समिति में कम से कम दो वर्ष का अनुभव।
4. परियोजना/क्षेत्र स्तरीय पदाधिकारियों की पात्रता :-
   जनपद/मण्डल/ खण्ड स्तर की समिति में कम से कम तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव।
5. अंचलीय समिति के पदाधिकारियों का पात्रता :-
   मण्डल/जनपद/ क्षेत्रीय स्तर की समितियों में कार्य करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।
6. केन्द्र स्तरीय समिति के पदाधिकारियों की पात्रता :-
   जनपद/ परियोजना/क्षेत्रीय/अंचल स्तर पर कम से कम 6 वर्ष का अनुभव एवं प्रदेश कार्यकारिणी समिति में निरन्तर तीन वर्ष कार्यकारिणी समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने का अनुभव।
7. निगम/कारपोरेशन शाखा समिति के पदाधिकारियों की पात्रता :-

(अ) अध्यक्ष एवं महासचिव पद के उम्मीदवार के लिये आवश्यक है कि वह दो वर्ष लगातार केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति का सदस्य रहा हो तथा सम्बन्धित निगम/कारपोरेशन में आमेलित/कार्यरत हो।

(ख) अध्यक्ष एवं महासचिव के अतिरिक्त शेष पदों के लिये आवश्यक है कि वह दो वर्ष लगातार परियोजना/क्षेत्रीय कार्यसमिति का सदस्य रहा हो तथा सम्बन्धित निगम/कारपोरेशन में आमेलित/कार्यरत हो।

8. सचिव, भवन समिति :-
   सचिव, भवन समिति के लिये आवश्यक है कि वह कम से कम एक वर्ष किसी भी स्तर की कार्य समिति का सदस्य रहा हो।
9. सचिव, कल्याण योजना समिति :-
   सचिव, कल्याण योजना समिति के लिये आवश्यक है कि वह कल्याण योजना के समस्त चरणों का सदस्य हो तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति का दो वर्ष लगातार सदस्य रहा हो।

नियम-3 : नामांकन

धारा-1 : कम से कम दो प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित और दो प्रतिनिधियों द्वारा अनुमोदित 'प्रतिनिधि' ही उम्मीदवार हो सकेगा। नामांकन-पत्र पर प्रस्तावित उम्मीदवार की सहमति अनिवार्य होगी।

धारा-2 : नामांकन-पत्र अधिकृत प्रारूप में (जो चुनाव अधिकारी/महासचिव उपलब्ध करायेगा) ही लिखित रूप में चुनाव अधिकारी के निर्वाचन के बाद उनके द्वारा घोषित निश्चित समय के भीतर उन्हें दे दिये जायेंगे। चुनाव अधिकारी द्वारा घोषित समय के भीतर उम्मीदवार, चाहे तो नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव अधिकारी पत्रों की जांच के पश्चात् घोषित समय पर विभिन्न पदों के प्रतियोगी उम्मीदवारों के नाम और मतदान कार्यक्रम की घोषणा कर देंगे।

धारा-3 : नामांकन-पत्र देने, नाम वापस लेने, मतदान और चुनाव घोषणा के समयबद्ध निश्चित कार्यक्रम की घोषणा चुनाव अधिकारी महोदय केन्द्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय महासचिव के परामर्श से अपने निर्वाचन के तत्काल बाद कर देंगे।

धारा-4 : एक प्रतिनिधि केवल एक पद के लिये नामांकन पत्र जमा कर सकेगा।

धारा-5 : चुनाव अधिकारी को पद की शपथ केन्द्रीय अध्यक्ष दिलायेंगे।

धारा-6 : प्रत्याशी जिस पद का उम्मीदवार हो, उसे उस पद हेतु किसी अन्य का नामांकन-पत्र प्रस्तावित/अनुमोदित करने का अधिकार न होगा। ऐसा (प्रस्तावित/अनुमोदित) करने पर उस प्रत्याशी का नामांकन अवैध माना जायेगा।

नियम-4 : मतदान का अधिकार

धारा-1 : प्रत्येक उपस्थित अधिकृत प्रतिनिधि को एक पद के लिये केवल एक मत देने का अधिकार होगा।

नियम-5 : मतदान :-

धारा-1 : चुनाव, मतपत्र (बैलेट पेपर) द्वारा सम्पन्न होगा, जिस पर क्रमांक एवं चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

धारा-2 : मतपत्र/नामांकन पत्र उपस्थित प्रतिनिधियों को वित्त सचिव से 'प्रतिनिधि प्रमाण-पत्र' प्राप्त होने के बाद ही दिया जायेगा। यह प्रमाण-पत्र नामांकन/चुनाव के समय के पूर्व प्राप्त कर लिया जाना चाहिये। मतदाता प्रतिकर्ष (काउण्टर फाइल) पर मतपत्र प्राप्ति के हस्ताक्षर करेंगे।

नियम-6 : मतदान प्रक्रिया

धारा-1 : एक बार प्रारम्भ होकर मतदान निर्धारित समय समाप्त होने तक लगातार चलेगा।

धारा-2 : चुनाव अधिकारी बारी-बारी से (एक साथ चार तक) प्रतिनिधियों को मतदान के लिये बुलायेंगे और उन्हें स्वहस्ताक्षरित मतदान-पत्र जिस पर विभिन्न पदों के उम्मीदवारों के पूरे नाम अक्षर क्रम (Alphabetical Order) में लिखे होंगे, दे देंगे। प्रतिनिधि निर्धारित मतदान स्थल पर जाकर विभिन्न पदों के लिये अपनी रूचि के उम्मीदवार के नाम के क्रमांक के ऊपर सही का चिन्ह लगा देंगे। एक पद के लिये केवल एक उम्मीदवार के नाम के सामने सही का चिन्ह लगया जायेगा। मतदान के पश्चात् मत-पत्र निर्धारित पेटी में डाल देंगे। जिस पद पर एक से अधिक पदाधिकारियों का चयन करना हो वहां उतने ही उम्मीदवारों के नामों के सामने सही का चिन्ह लगाया जायेगा यथा उप महासचिव, संगठन सचिव, लेखा निरीक्षक।

धारा-3 : यदि किसी पद के लिये केवल एक वैध उम्मीदवार होगा तो उसका नाम मत-पत्र में नहीं होगा। उसके निर्वाचन की औपचारिक घोषणा चुनाव अधिकारी मतगणना के पश्चात् करेंगे।

धारा-4 : किसी विशिष्ट पद के लिये दिया गया मत अवैध माना जायेगा, यदि :-

(अ) उस पद के उम्मीदवारों में से किसी भी एक के नाम के क्रमांक के ऊपर सही का चिन्ह लगाया ही न गया हो।

(ब) एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के क्रमांक के ऊपर मतदान चिन्ह लगाया गया हो।

(द) मतदान चिन्ह निर्धारित स्थान से अलग अन्यत्र कहीं लगाया गया हो।

नियम-7 : मतगणना एवं परिणाम

धारा-1 : पूर्ण मतदान (निर्धारित समय में) समाप्त होने के बाद चुनाव अधिकारी उम्मीदवारों अथवा उनके एक-एक मनोनीत निर्वाचन अभिकर्ता की मौजूदगी में (यदि वे स्वेच्छा से उपस्थित रहना चाहें) मतगणना करेंगे और समाप्त होने तक मतगणना जारी रखेंगे।

धारा-2 : किसी एक पद के लिये सर्वाधिक मत प्राप्त प्रत्याशी उस पद के लिये निर्वाचित माना जायेगा। यदि किसी पद के लिये एक से अधिक पदाधिकारी निर्वाचित होने हैं (जैसे उप महासचिव, संगठन सचिव, लेखा निरीक्षक आदि) तो उम्मीदवारों में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उतने प्रत्याशी (वरीयता क्रम से) निर्वाचित घोषित किये जायेंगे, जितने पद हैं।

धारा-3 : यदि किसी एक या अधिक पद के लिये दो या दो से अधिक प्रत्याशी समान मत प्राप्त करते हैं, तो इनमें से एक या अधिक का निर्वाचन चुनाव अधिकारी तत्काल 'लाटरी पद्धति' से करेंगे।

धारा-4 : यदि किसी पद (अध्यक्ष पद के अतिरिक्त) के लिये एक भी उम्मीदवार न हो अथवा प्राप्त हुये सभी नामांकन पत्र अवैध घोषित हो गये हों अथवा उम्मीदवारों की संख्या पदों की संख्या से कम हो, तो ऐसे पद (या एक से अधिक पद) रिक्त रहेंगे और नवगठित कार्यकारिणी संवैधानिक प्राविधानों के अनुसार ऐसे पद/पदों को मनोनयन से भरेगी।

धारा-5 : अध्यक्ष का परिषद द्वारा सर्वसम्मति अथवा बहुमत से निर्वाचित होना अनिवार्य है। अध्यक्ष के मामले में उपर्युक्त उपधारा-4 की स्थिति होने पर चुनाव अधिकारी केवल अध्यक्ष पद के लिये ''चुनाव प्रक्रिया'' पुनः शुरू कर सकने में तब तक सक्षम होंगे, जब तक अध्यक्ष का परिषद द्वारा वैध निर्वाचन न हो जाय।

धारा-6 : समस्त पदों के लिये मतगणना पूर्ण होने के उपरान्त चुनाव अधिकारी परिणाम की औपचारिक घोषणा सदन में कर देंगे। निर्वाचित पदाधिकारियों (उपलब्ध) का 'शपथ ग्रहण' चालू परिषद सम्मेलन का अन्तिम कार्य होगा। चुनाव परिणाम की घोषणा के तत्काल बाद केन्द्रीय महासचिव (उनका पुनः निर्वाचन हुआ हो अथवा नहीं), अपनी पूरी कार्यकारिणी का सामूहिक त्याग-पत्र चुनाव अधिकारी को देंगे, किन्तु पुरानी कार्यकारिणी तब तक वैध और कार्य करने में सक्षम रहेगी जब तक नव-निर्वाचित पदाधिकारी शपथ ग्रहण नहीं कर लेते।

धारा-7 : शपथ ग्रहण के पश्चात् यथाशीघ्र (अधिकतम् 24 घण्टे के भीतर) निवर्तमान अध्यक्ष, महासचिव, वित्त सचिव एवं अन्य पदाधिकारी चुनाव अधिकारी की मौजूदगी में केन्द्रीय कार्यालय में अपना पदभार नवनिर्वाचित समकक्ष पदाधिकारियों को सौंप देंगे। उसी पद पर पुनर्निर्वाचित पदाधिकारी को ऐसा करना आवश्यक नहीं है।

नियम-8 : निर्वाचन याचिका

धारा-1 : निर्वाचन परिणाम (अध्यक्ष के अतिरिक्त) के प्रति यदि किसी 'प्रत्याशी' की संवैधानिक प्राविधानों के उल्लंघन/अतिक्रमण सम्बन्धी आपत्ति होगी तो ऐसी आपत्ति निर्वाचन अधिकारी को परिणाम घोषणा के एक सप्ताह के अन्दर दे देनी होगी। इस पर निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। अध्यक्ष के निर्वाचन में असंवैधानिकता सम्बन्धी आपत्ति निर्वाचन परिणाम घोषणा के तत्काल बाद दे दी जायेगी जिसका निर्णय निर्वाचन अधिकारी तत्काल "निर्वाचन प्रक्रिया" पूर्ण करने से पहले (शपथ ग्रहण के पूर्व) कर देंगे। उनका निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

नियम-9 : प्रपत्रों के अधिकृत प्रारूप (Proformas)

।। सत्यमेव जयते ।।

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश

प्रतिनिधि प्रमाण पत्र

प्रतिनिधि बैज संख्या क्रमांक.....जिला/परियोजना शाखा.....द्वारा अनुमोदित इं०.....को जिनकी सदस्यता/आजीवन सदस्यता संख्या.....है, वर्ष.....के लिये संगठन की 'परिषद' का प्रतिनिधि घोषित किया जाता है।

महासचिव वित्त सचिव

।। सत्यमेव जयते ।।

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश

नामांकन-पत्र : सत्र.....

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता इं०.....को, जिनका प्रतिनिधि क्रमांक.....सदस्यता संख्या.....कल्याण योजना पंचम् चरण संख्या.....है, का नाम वर्ष.....में.....पद के लिये प्रस्तावित एवं अनुमोदित करते हैं।

	अनुमोदक	प्रस्तावक
1.	हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
	नाम.....	नाम.....
	प्रतिनिधि क्रमांक.....	प्रतिनिधि क्रमांक.....
	कल्याण योजना पंचम्.....	कल्याण योजना पंचम्.....
	जनपद/परियोजना.....	जनपद/परियोजना.....
2.	हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
	नाम.....	नाम.....
	प्रतिनिधि क्रमांक.....	प्रतिनिधि क्रमांक.....
	कल्याण योजना पंचम्.....	कल्याण योजना पंचम्.....
	जनपद/परियोजना.....	जनपद/परियोजना.....

प्रत्याशी की घोषणा

मैं.....प्रतिनिधि क्रमांक.....सदस्यता सं०.....जनपद/परियोजना.....संगठन के वर्ष.....के निर्वाचन में.....पद के लिये प्रत्याशी होने की सहमति देता हूँ। मेरी कल्याण योजना पंचम् चरण की सदस्यता संख्या.....है। मेरा विभागीय वरिष्ठता क्रमांक.....है।

हस्ताक्षर.....

विभागीय पता.....

पत्रचार का पता.....

जांच परिणाम

यह नामांकन-पत्र जांच के पश्चात् सही पाया गया/यह नामांकन-पत्र निम्न कारणों से सही नहीं पाया गया, अतः रद्द किया जाता है।

.....

.....

निर्वाचन अधिकारी.....

परिशिष्ट 'क'

(शीर्षक–2 धारा-4)

प्रवेश पत्र

राज्य विद्युत परिषद
जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश

मै.....आत्मज.....

जन्म तिथि.....नियुक्ति दिनांक.....

पद.....विभागीय वरिष्ठता क्रमांक.....

स्वयं को राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश का सदस्य घोषित करता हूँ।

संगठन द्वारा स्वीकृत सभी नियम व प्रस्ताव एवं तद्नुसार अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णय मुझे मान्य होंगे।

मैं रु. 100/- (रु. एक सौ मात्र) प्रवेश शुल्क तथा रु. 1000/- (रु. एक हजार मात्र) वार्षिक शुल्क अथवा रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र) आजीवन सदस्यता शुल्क जमा कर रहा हूँ।

पूरा पता (स्थायी) .....

.....

(अस्थायी).....

.....

दिनांक : ..... हस्ताक्षर : .....

पद : .....

विभागीय वरिष्ठता क्र०.....

ह० प्रस्तावक.....

नाम व पद.....

सदस्य पंजिका में क्र०सं० .....

महासचिव

वित्त सचिव

।। सत्यमेव जयते ।।

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश

नामांकन-पत्र : सत्र.....

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता इं०.....को, जिनका प्रतिनिधि क्रमांक.....सदस्यता संख्या.....कल्याण योजना पंचम् चरण संख्या.....है, का नाम वर्ष..... में.....पद के लिये प्रस्तावित एवं अनुमोदित करते हैं।

	अनुमोदक	प्रस्तावक
1.	हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
	नाम	नाम.....
	प्रतिनिधि क्रमांक.....	प्रतिनिधि क्रमांक.....
	कल्याण योजना पंचम्.....	कल्याण योजना पंचम्.....
	जनपद/परियोजना.....	जनपद/परियोजना.....
2.	हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
	नाम	नाम.....
	प्रतिनिधि क्रमांक.....	प्रतिनिधि क्रमांक.....
	कल्याण योजना पंचम्.....	कल्याण योजना पंचम्.....
	जनपद/परियोजना.....	जनपद/परियोजना.....

प्रत्याशी की घोषणा

मैं.....प्रतिनिधि क्रमांक..... सदस्यता सं०.....जनपद/परियोजना..... संगठन के वर्ष.....के निर्वाचन में..... पद के लिये प्रत्याशी होने की सहमति देता हूँ। मेरी कल्याण योजना पंचम् चरण की सदस्यता संख्या.....है। मेरा विभागीय वरिष्ठता क्रमांक.....है।

हस्ताक्षर.....

विभागीय पता.....

पत्रचार का पता.....

जांच परिणाम

यह नामांकन-पत्र जांच के पश्चात् सही पाया गया/यह नामांकन-पत्र निम्न कारणों से सही नहीं पाया गया, अतः रद्द किया जाता है।

.....

.....

निर्वाचन अधिकारी.....

।। सत्यमेव जयते।।

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश

मत-पत्र

निर्वाचन सत्र.....मत पत्र.....

निर्वाचन अधिकारी.....

1. केन्द्रीय अध्यक्ष (एक पद)

(1) इं० .....

(2) इं० .....

(3) इं० .....

2. वरिष्ठ उपाध्यक्ष (एक पद)

(1) इं० .....

(2) इं० .....

(3) इं० .....

3. उपाध्यक्ष (एक पद)

(1) इं० .....

(2) इं० .....

(3) इं० .....

4. केन्द्रीय महासचिव (एक पद)

(1) इं० .....

(2) इं० .....

(3) इं० .....

5. उपमहासचिव (चार पद)

(1) इं० .....

(2) इं० .....

(3) इं० .....

6. वित्त सचिव (एक पद)

(1) इं० .....

(2) इं० .....

(3) इं० .....

7. प्रचार सचिव (एक पद)

(1) इं० .....

(2) इं० .....

(3) इं० .....

8. संगठन सचिव (चार पद)

(1) इं० .....

(2) इं० .....

(3) इं० .....

9. लेखा निरीक्षक (दो पद)

(1) इं० .....

(2) इं० .....

(3) इं० .....